

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संचिका संख्या -15/औ०-13-15/2024 -...../स्वा० पटना/दिनांक -

श्री राकेश कुमार, औषधि निरीक्षक, भोजपुर-02 को सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का अधिसूचना संख्या-3127, दिनांक-06.03.2018 के अंतर्गत "बिहार सरकारी सेवक विभागीय परीक्षा की उत्तीर्णता से विमुक्ति नियमावली, 2018" के कंडिका-04, 05 एवं 06 में निहित प्रावधानों के आलोक में श्री कुमार को कम्प्यूटर सक्षमता परीक्षा से विमुक्त किया जाता है।

प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(कृष्णा उराँव)

सरकार के उप सचिव,

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक - 15/औ०-13-15/2024 -529(15)/स्वा० पटना/दिनांक -30/04/2025

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

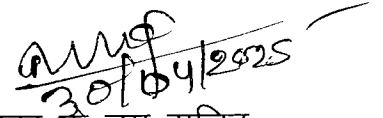
प्रतिलिपि : राज्य औषधि नियंत्रक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला पदाधिकारी/सिविल सर्जन, भोजपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, भोजपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : श्री राकेश कुमार, औषधि निरीक्षक, भोजपुर-02 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



सरकार के उप सचिव,

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

७४५